राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

रा.रा.मार्ग नं.–8 बड़लिया चौराहा, नारेली मंदिर के पास,
अजमेर, 305025

Website: www.ecajmer.ac.in
E-mail : principal@ecajmer.ac.in

Telephone : 0145-2671805
TeleFax : 0145-2671801

No.GECA//2018/ 02

Date: 05.04.18

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय में कार्यरत संकाय सदस्य व कर्मचारियों को TEQIP-III एवं महाविद्यालय मद के अर्न्तगत निम्न दिशा–निर्देश के अनुसार यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होगें, एवं भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :–

1. स्वयं /किराये के वाहन से यात्रा करने से पूर्व सक्षम अधिकारी/प्राचार्य से स्वीकृति लेनी होगी, एवं विशेष परिस्थिति का विवरण देना होगा।
2. किसी संस्थान द्वारा Lodging & Boarding की सुविधा पंजीकरण शुल्क मे शामिल होने पर दैनिक भत्ते की राशि का 25 प्रतिशत राशि ही देय होगी।
3. किसी संस्थान द्वारा कार्यशाला, लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सशुल्क रहने–खाने की सुविधा प्रदान की जाती है तो उक्त संस्थान का बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
4. यदि किसी संस्थान द्वारा कार्यशाला, लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सशुल्क रहने–खाने की सुविधा प्रदान की जाती है तब अन्यत्र रहने–खाने की व्यवस्था के बारे में संबंधित संस्थान द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उनके द्वारा प्रस्तुत बिल (मय जीएसटी) का भुगतान किया जायेगा।
5. यात्रा हेतु लोक परिवहन जैसे रेल यात्रा, सड़क यात्रा आदि का उपयोग किया जावे तथा मितव्यता का ध्यान रखा जाये। स्थानीय यात्रा को लाभ का साधन न मानते हुए यात्रा सम्पादित करनी चाहिए रहने व यात्राओं के सांझा करने (Sharing) को प्राथमिकता दी जावे। लघु यात्रा के लिए अधिकतम किलोमीटर सीमा, निर्धारित राशि तक ही देय होगे।
6. जहॉ पर TEQIP-III तथा अन्य स्कीम के नियम स्पष्ट नहीं है वहॉ पर राज्य सरकार के नियम लागू होगें।

प्राचार्य

प्रतिलिपि :– राअमअ/2018/17-23

1. समस्त विभागाध्यक्ष
2. समन्यवक, TEQIP-III
3. उप कुलसचिव (लेखा शाखा)
4. वेब मास्टर
5. संस्थापन शाखा
6. लेखा शाखा
7. रक्षित पत्रावली